

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2020—ज्येष्ठ 29, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख मोहम्मद आत्मज स्व. शेख जुम्मन, उम्र 48 वर्ष, निवासी-म. नं. 538, वार्ड नं.-25, गोलबाजार, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम शेख मोहम्मद आ. शेख जुम्मन है जो कि मेरे दाखिल खारिज, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे प्राथमिक शाला के अंकसूची में मेरा नाम मोहम्मद अली आ. जुम्मन खान दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सही नाम शेख मोहम्मद आ. स्व. शेख जुम्मन रख लिया हूँ, तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे शेख मोहम्मद आ. स्व. शेख जुम्मन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मोहम्मद अली
पिता-जुम्मन खान
निवासी-म. नं.-538,
वार्ड नं.-25, गोलबाजार,
राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

शेख मोहम्मद
पिता-स्व. शेख जुम्मन
निवासी-म. नं.-538,
वार्ड नं.-25, गोलबाजार,
राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राधा श्रीवास्तव ध. प. श्री इन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-12/डी., सड़क-3, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं। उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राधा देवी श्रीवास्तव दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम राधा श्रीवास्तव है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती राधा श्रीवास्तव ध. प. श्री इन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

राधा देवी श्रीवास्तव
पति-श्री इन्द्र कुमार श्रीवास्तव
निवासी-क्वा. नं.-12/डी.,
सड़क-3, सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती राधा श्रीवास्तव
पति-श्री इन्द्र कुमार श्रीवास्तव
निवासी-क्वा. नं.-12/डी.,
सड़क-3, सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पलानु बोसाक आत्मज श्री जीतेन बोसाक, उम्र 33 वर्ष, निवासी-2/3, नेहरू नगर (ईस्ट) मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम सुन्दर बोसाक था। जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है। मेरे मतदाता परिचय पत्र में सुन्दर बोसाक (Sundar Bosak) आ. जितन बोसाक (Jintan Bosak), जिसमें मेरे पिता के नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में सुन्दर जे. बोसाक (Sunder J. Bosak) दर्ज है तथा इसमें भी मेरे उपनाम की स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम पलानु बोसाक (Palanu Bosak) आ. श्री जीतेन बोसाक (Shri Jitten Bosak) रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे पलानु बोसाक (Palanu Bosak) आ. श्री जीतेन बोसाक (Shri Jitten Bosak) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुन्दर बोसाक
(Sundar Bosak),
सुन्दर जे. बोसाक
(Sunder J. Bosak)
पिता-जितन बोसाक
(Jintan Bosak),
जितन बोसाक
(Jinten Bosak)
निवासी-2/3, नेहरू नगर (ईस्ट)
मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पलानु बोसाक
(Palanu Bosak)
पिता-श्री जीतेन बोसाक
(S/o- Shri Jitten Bosak)
निवासी-2/3, नेहरू नगर (ईस्ट)
मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती वर्षा साखरे ध. प. श्री अश्वनी साखरे उम्र 44 वर्ष, निवासी-फ्लैट नं.-11, ब्लॉक-ए, सूर्या अपार्टमेंट, मॉडल टाउन, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. जी. के. वर्षा आत्मजा श्री कृष्णा राव घोडेसवार था। जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 04-06-2005 को श्री अश्वनी साखरे के साथ संपन्न हुआ। मैं शास. उ. मा. वि. गोरकापार, गुण्डरदेही जिला बालोद में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती जी. के. वर्षा आ. श्री कृष्णा राव घोडेसवार दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती वर्षा साखरे ध. प. श्री अश्वनी साखरे रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती वर्षा साखरे (Smt. Varsha Sakhre) ध. प. श्री अश्वनी साखरे (Shri Ashwani Sakhre) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कु. जी. के. वर्षा
(Ku. G. K. Varsha)
श्रीमती जी. के. वर्षा
(Smt.. G. K. Varsha)
पिता-श्री कृष्णा राव घोडेसवार
निवासी-फ्लैट नं.-11, ब्लॉक-ए,
सूर्या अपार्टमेंट, मॉडल टाउन,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती वर्षा साखरे
(Smt. Varsha Sakhre)
पति-श्री अश्वनी साखरे
(W/o- Shri Ashwani Sakhre)
निवासी-फ्लैट नं.-11, ब्लॉक-ए,
सूर्या अपार्टमेंट, मॉडल टाउन,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभाकर मिश्रा आत्मज श्री अनिरुद्ध मिश्रा, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर-5/सी, रोड नंबर-69, सेक्टर-6 वार्ड नंबर-48, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम प्रभाकर आ. श्री अनिरुद्ध मिश्रा दर्ज है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में प्रभाकर मिश्रा तथा अंग्रेजी में प्रभाकर दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “मिश्रा” जोड़कर पूर्ण नाम प्रभाकर मिश्रा (Prabhakar Mishra) आ. अनिरुद्ध मिश्रा (Anirudh Mishra) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे प्रभाकर मिश्रा (Prabhakar Mishra) आ. श्री अनिरुद्ध मिश्रा (Shri Anirudh Mishra) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रभाकर (Prabhakar)
पिता-श्री अनिरुद्ध मिश्रा
(S/o- Shri Anirudh Mishra)
निवासी-क्वा. नंबर-5/सी,
रोड नंबर-69, सेक्टर-6
वार्ड नंबर-48,
सिविक सेंटर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- Q. No.-5/C,
Rod-69, Sector-6, Ward No.-48,
Civic Centre Bhilai,
Tah. & Dist-Durg (C. G.)

नया नाम

प्रभाकर मिश्रा
(Prabhakar Mishra)
पिता-श्री अनिरुद्ध मिश्रा
(S/o- Shri Anirudh Mishra)
निवासी-क्वा. नंबर-5/सी,
रोड नंबर-69, सेक्टर-6
वार्ड नंबर-48,
सिविक सेंटर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
Add.- Q. No.-5/C,
Rod-69, Sector-6, Ward No.-48,
Civic Centre Bhilai,
Tah. & Dist-Durg (C. G.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Achyutanand Pandey आत्मज Shri Ramshankar Pandey, उम्र 52 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी.-1/1025, प्रथम तल, आमदी नगर, हुड़को, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम Achyutanand Pande आत्मज Shri Ramashankar Pande दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम Achyutanand Pandey आ. Shri Ramshankar Pandey रख लिया हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य अभिलेखों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे Achyutanand Pandey आ. Shri Ramshankar Pandey के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

Achyutanand Pande
पिता-Shri Ramashankar Pande
निवासी-एम. आई. जी.-1/1025,
प्रथम तल, आमदी नगर,
हुड़को, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Achyutanand Pandey
पिता-Shri Ramshankar Pandey
निवासी-एम. आई. जी.-1/1025,
प्रथम तल, आमदी नगर,
हुड़को, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेन्द्र कुमार यादव आत्मज श्री ठाकुर प्रसाद यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी-ब्लाक-4, हाउस-15, प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “यादव” जोड़कर पूर्ण नाम सुरेन्द्र कुमार यादव रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों, दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सुरेन्द्र कुमार यादव आ. श्री ठाकुर प्रसाद यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुरेन्द्र कुमार
(Surendra Kumar)
पिता-श्री ठाकुर प्रसाद यादव
(S/o- Shri Thakur Prasad Yadav)
निवासी-ब्लाक-4, हाउस-15,
प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुरेन्द्र कुमार यादव
(Surendra Kumar Yadav)
पिता-श्री ठाकुर प्रसाद यादव
(S/o- Shri Thakur Prasad Yadav)
निवासी-ब्लाक-4, हाउस-15,
प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 10 जून 2020

प्रारूप

[(देखे नियम 5(1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30 और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/1096/प्र. 2/अ. वि. अ./2019.—यतः कि आवेदक श्रीमती सोनिया ढोढी पत्नी अतुल ढोढी उम्र 45 वर्ष निवासी बी-302 एम. पी. एच. बी. अपार्टमेंट रायपुर नामाक दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग एवं अन्य 02 तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) द्वारा “नवकिरण फाउण्डेशन ट्रस्ट पता-बी-302 एमपी. एच. बी. अपार्टमेंट रायपुर नाका दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड नं. 491001” के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु दिया गया है एतद् द्वारा सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में सुनवाई दिनांक 10-07-2020 को विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के बाद किसी भी प्रकार के आपत्ति-दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------------|----|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | “नवकिरण फाउण्डेशन ट्रस्ट पता-बी-302 एमपी. एच. बी. अपार्टमेंट रायपुर नाका तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन कोड नं. 491001” |
| 2. | चल संपत्ति | :- | 3000-00 अक्षरी तीन हजार रु. नगद |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

खेमलाल वर्मा
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/34.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बेन्दरचुआ पं. क्र. 2421 विकासखंड-डौणडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. बेन्दरचुआ पं. क्र. 2421 विकासखंड-डौणडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/35.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अरमरीकला पं. क्र. 2667 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अरमरीकला पं. क्र. 2667 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/36.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 1854 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 1854 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/37.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत महामाया श्रमिक सहकारी समिति मर्या. महामाया पं. क्र. 2151 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत महामाया श्रमिक सहकारी समिति मर्या. महामाया पं. क्र. 2151 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/38.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. रानाखुज्जी पं. क्र. 2259 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. रानाखुज्जी पं. क्र. 2259 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/39.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2227 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2227 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/40.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. रानीतराई पं. क्र. 2456 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. रानीतराई पं. क्र. 2456 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/41.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. कोरगुडा पं. क्र. 103 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. कोरगुडा पं. क्र. 103 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. के. मेश्राम/अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/42.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. भिन्दो पं. क्र. 2430 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. भिन्दो पं. क्र. 2430 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/43.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मड़वापथरा पं. क्र. 2431 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मड़वापथरा पं. क्र. 2431 विकासखंड-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/44.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सुअरबोड़ पं. क्र. 2432 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सुअरबोड़ पं. क्र. 2432 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/45.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जागृति महिला बनुकर सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 2995 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत जागृति महिला बनुकर सहकारी समिति मर्या. परसदा पं. क्र. 2995 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/46.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रजोली पं. क्र. 2659 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रजोली पं. क्र. 2659 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/47.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दलित वर्ग श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2811 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत दलित वर्ग श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2811 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/48.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत गोड़वाना खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. नरा पं. क्र. 2716 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत गोड़वाना खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. नर्रा पं. क्र. 2716 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/49.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. गुंडरदेही पं. क्र. 10 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. गुंडरदेही पं. क्र. 10 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/50.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नव विकास सहकारी समिति मर्या. गुरेदा पं. क्र. 2633 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत नव विकास सहकारी समिति मर्या. गुरेदा पं. क्र. 2633 विकासखंड-गुंडरदेही, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. ए. एस. आगवान/स. वि. अ. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/51.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. घोरदा पं. क्र. 2423 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. घोरदा पं. क्र. 2423 विकासखंड-डौंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/52.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. संजारी पं. क्र. 2424 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. संजारी पं. क्र. 2424 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/53.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. करियागोंदी पं. क्र. 2426 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. करियागोंदी पं. क्र. 2426 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/54.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय नर्मदा प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति मर्या. बहेराभाठा पं. क्र. 2885 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत जय नर्मदा प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति मर्या. बहेराभाठा पं. क्र. 2885 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/55.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. डोंडीलोहारा पं. क्र. 16 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत तौलक हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. डोंडीलोहारा पं. क्र. 16 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/56.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दल्ली खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2111 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत दल्ली खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. राजहरा पं. क्र. 2111 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/57.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदर्श खदान सहकारी समिति मर्या. महामाया पं. क्र. 2306 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदर्श खदान सहकारी समिति मर्या. महामाया पं. क्र. 2306 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश कुमार ध्रुव,
उप पंजीयक.